(b) The maximum quantity permissible for import by a person under the Gold Import Scheme is 5 Kg. once in six months. No statistics are maintained about the number of visits made by a person and the total quantity imported by him on such visits.

(c) and (d) No such proposal is under consideration.

बैंकों की नवीन शाखाओं का खोला जाना

1403. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को नवीन शाखाएं खोलने हेतु अनुज्ञप्ति प्रणाली में ढील दी है अथवा नियमों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और गत वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) और (ख) 1985–90 के शाखा विस्तार का उद्देश्य प्रत्येक खंड के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17,000 की जनसंख्या कवरेज (1981 की जनगणना) प्राप्त करना था ताकि बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में व्यापक स्थानिक दूरियों को कम किया जा सके जिससे सामान्यतया 10 कि० मी० की दूरी के अंदर-अंदर एक ग्रामीण शाखा उपलब्ध हो। पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों और छुट-पुट आबादी वाले क्षेत्रों की विलक्षण विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या मानदंड को शिथिल करके प्रति बैंक कार्यालय 10,000 कर दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने से 1989 के अंत तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या कम होकर 13,000 हो गई है। इस समय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की 35,313 शाखाओं का नेटवर्क है। तथापि, सामान्यतया दो कारणों से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवश्यकता होगी :

I. आवंटित गांवों की अधिक संख्या, सेवा प्रदान किए जाने वाले ग्राहकों की संख्या और सेवा क्षेत्र में अंतर्ग्रस्त लंबी दूरियों/असुविधाजनक भूभागों के कारण बैंक शाखा को आवंटित क्षेत्र अनियंत्रणीय हो सकता है।

II. ग्रामीण शाखा के कारोबार में वृद्धि होने से न्यायोचित रूप से एक अर्थक्षम अतिरिक्त बैंक शाखा की आवश्यकता।

भारतीय रिजर्व बैंक के 1990—95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत, उनकी ग्रामीण शाखाओं के संबंधित सेवा क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवश्यकता के मूल्यांकन का काम अब अलग-अलग बैंकों के निर्णय पर छोड़ा गया है।

1-4-1992 से 31-3-1993 के दौरान खोली गई बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

1-4-92 से 31-3-1993 के दौरान खोली गई बैंक शाखाओं की राज्य-वार संख्या

राज्य	खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या
अण्डमान एवं निकोबार	2
आन्ध्र प्रदेश	42
बिहार	23
चंडीगढ़	5
दिल्ली	15
गोवा	3
गुजरात	37

राज्य	खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या
हरियाणा	27
हिमाचल प्रदेश	12
जम्मू एवं कश्मीर	3
कर्नाटक	42
केरल	36
मध्य प्रदेश	40
महाराष्ट्र	58
मेघालय	3
मिजोरम	1
उड़ीसा	17
पांडिचेरी	2
पंजाब	38
राजस्थान	33
सिक्किम	9
तमिलनाडु	54
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	66
पश्चिम बंगाल	24
असम	1

जीवन बीमा निगम द्वारा आरम्भ की गई नई पालिसियां

1404. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा गत एक वर्ष के दौरान कितनी और किस किस प्रकार की नई पालिसियां आरंभ की गई हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जीवन बीमा निगम ने अपनी इन नई पालिसियों के अंन्तर्गत कितनी राशि का व्यापार किया है और कितने लोगों ने उक्त पालिसियों के अंतर्गत अपना बीमा कराया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा दो नई योजनाएं शुरू की गईं थीं जो निम्नलिखित प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

योजना	*पालिसियों की संख्या	किए गए कारोबार की राशि
(i) जीवन सुरभि	2,59,057	1157.07
(ii) जीवन सुकन्या	33,640	151.90

*इन योजनाओं के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1993-94 में जीवन बीमा निगम ने 7-9-1993 से 30-11-1993 तक की अवधि के दौरान आशादीप नाम से एक एकल योजना (क्लोज एन्डिड प्लान) जारी की थी । इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई पालिसियों की संख्या 4,43,168 है ।

उपर्युक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताएं विवरण में दी गई हैं।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई नई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

पिछले एक वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा जारी की गई नई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं :—

जीवन सुरभि :

इस योजना के अंतर्गत पालिसी की अवधि और प्रीमियम अदायगी की अवधि के आधार पर तीन भिन्न-भिन्न श्रेणी वाली पालिसियों अर्थात् क्रमशः 15/12, 20/15 और 25/18 के अंतर्गत उत्तरजीविता लाभ और वृद्धि वाले